

मत्स्य निदेशालय  
नया सचिवालय, विकास भवन, बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०),  
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।  
संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशि० एवं प्रसार),  
मीठापुर, पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 09.02.2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹945.61281 लाख (नौ करोड़ पैंतालीस लाख इकसठ हजार दो सौ इक्यासी रू०) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम अन्तर्गत मत्स्य प्रसार योजना के तहत मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार हेतु तृतीय चरण में कुल ₹330.96449 लाख (तीन करोड़ तीस लाख छियानवे हजार चार सौ उन्चास रू०) मात्र राशि का आवंटन की स्वीकृति।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी-1-II के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6 एस० एस० (6) 55/2013-3381 दिनांक-28.07.2025 के आलोक में कुल स्वीकृत राशि ₹945.61281 लाख (नौ करोड़ पैंतालीस लाख इकसठ हजार दो सौ इक्यासी रू०) मात्र के विरुद्ध तृतीय चरण में कुल ₹330.96449 लाख (तीन करोड़ तीस लाख छियानवे हजार चार सौ उन्चास रू०) मात्र का आवंटन, व्यय के वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

- इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में माँग सं०-02 के अधीन आय-व्ययक मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00 मछली पालन, लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0102-मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड-02.2405001090102 के अंतर्गत विभिन्न शीर्षवार संलग्न विवरणी-1-II के अनुरूप विकलित होगा।
- योजनान्तर्गत विवरणी-1 में आवंटित राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- योजनान्तर्गत विवरणी-II में आवंटित राशि को वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2) दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग का पत्रांक 345 दि० 25.03.2021 (जिसके तहत योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से अधिक व्यय निषेध होगा) एवं वित्त विभाग के पत्रांक 2193 दिनांक-31.03.2020 (जिसके तहत आवंटित राशि को बैंक खातों में न रखकर सी०एफ०एम०एस० प्रणाली द्वारा भुगतान किया जाना है) के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा :-  
(क) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।  
(ख) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।  
(ग) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।  
(घ) राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।


4. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।  
अनु०:-यथोक्त

विश्वासभाजन

  
निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक: म०/बजट-04/2025.....91...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026

प्रतिलिपि : विवरणी-I-II की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक: म०/बजट-04/2025.....91...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026

प्रतिलिपि : विवरणी-I-II की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक: म०/बजट-04/2025.....91...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026

प्रतिलिपि : विवरणी-I-II की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (संबंधित)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक: म०/बजट-04/2025.....91...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026

प्रतिलिपि : विवरणी-I-II की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/मत्स्य निदेशालय के बजट एवं लेखा शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक: म०/बजट-04/2025.....91...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026

प्रतिलिपि : विवरणी-I-II की प्रति के साथ सचिव के आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक: म०/बजट-04/2025.....91...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

  
निदेशक मत्स्य,



विवरण-11

वारु, वित्तीय वर्ष 2025-26 माँग संख्या-02, बजट शीर्ष 2405- मछली पालन उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-109- विस्तार तथा प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0102-मत्स्य प्रसार योजना, विपत्र कोड-02-2405001090102, विभिन्न शीर्षवार के तहत राशि का आवंटन।

(मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना)

(राशि रुपया में)

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा० का नाम	विषय शीर्ष-0102.16.01- प्रकाशन एवं मुद्रण		विषय शीर्ष-0102.20.02- कॉम्परेन्स कार्यशाला सेमिनार		विषय शीर्ष-0102.21.01- सामग्री एवं पूर्तियाँ		विषय शीर्ष-0102.52. 02-मशीने एवं उपकरण-अन्य		कुल स्वीकृत राशि	
		स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि (35 प्रतिशत)	स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि (35 प्रतिशत)	स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि (35 प्रतिशत)	स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि (35 प्रतिशत)	कुल स्वीकृत राशि	कुल वर्तमान आवंटित राशि (35 प्रतिशत)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	निदेशक मत्स्य	3000000	1050000	5000000	1750000	4000000	1400000	6800000	2380000	18800000	6580000
2	संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र), मीठापुर, पटना I		0		0		0		0		0
	कुल योग	3000000	1050000	5000000	1750000	4000000	1400000	6800000	2380000	18800000	6580000

कुल आवंटित राशि 65.80,000/- (षसठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)।



निदेशक मत्स्य  
8/2/26